राजस्व वाद संख्या:–201/2021
कृष्णा मौर बनाम धर्मेन्द्र कुमार वगै0
निर्णय दिनांक:– 16.09.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:– श्री दीपक चंदन (आर.ए.एस.)

कृष्णा मौर बनाम धर्मेन्द्र कुमार वगै0
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 16.09.2025 को श्री दीपक चंदन उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम कुलोठ खुर्द तहसील सूरजगढ़ की सरहद में स्थित कृषि भुमि खसरा नम्बर 187 रकबा 2.58 है0 भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव क्रमांकः भू.अ./2025/1591 दिनांक 13.08.2025 में अंकितानुसार अलग–अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

यह आज दिनांक 16.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(श्री दीपक चंदन आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ